सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेपरिक्षा-II)
राजस्थान, जयपुर

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

नागरिक प्राधिकार

<u>दृष्टिकोण</u>

सी.ए.जी का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनने की आकांशा रखते है। हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण में वैश्विक अधिनायक और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम पध्दति के दीक्षक बनने और स्वतंत्र, विश्वसनीय, लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित एवं समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते है ।

<u>मिशन</u>

हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत एवं वर्णित करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, उच्च गुणवत्ता लेखा परीक्षण और लेखकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को उन्नत करते हैं और अपने हितधारकों, विधानमण्डल-कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग दक्षता से और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

1. <u>सी.ए.जी. की वेबसाईट पर सी.ए.जी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखना</u>

क्र. सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने कर्य निष्पादन का कैसे आंकलन करते हैं	हमारी समयसीमा
1	सी.ए.जी. की वेबसाईट के माध्यम से सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रसार	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की तारीख से लेकर उक्त को सी.ए.जी की वेबसाईट पर अपलोड करने की तारीख तक लिया गया औसत समय ।	राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की तारीख से **02** कार्य दिवसों में

2. शिकायत

हमारे पास निम्नलिखित तंत्र है:

(अ) पेंशनरों की शिकायत का निवारण

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ इस कार्यालय में पेंशन और पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अन्य सेवानिवृति लाभों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए काम कर रहा है जो कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा **1**) राजस्थान**,** जयपुर**,**कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-11) राजस्थान, जयपुर, कार्यालय प्रधान निर्देशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद शाखा-जयपुर से सेवानिवृत हुए हैं। वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) नोडल अधिकारी है।

यदि आवेदक को प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या यह प्राप्त प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो वह नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है या agaurajasthan1@cag.gov.in अथवा agaurajasthan2@cag.gov.in पर ई-मेल भेज सकता है।

(बी) केन्द्रीय लोक सूचना

कार्यालय प्रधान महालेखार (लेखापरीक्षा-*11)* राजस्थान, जयपुर में कार्यरत वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पीआई.ओ.) नामित किया गया जो एक स्वतंत्र जन प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। आर.टी.आई. अधिनियम, *2005* के तहत कार्यालय प्रमुख के पद पर कार्यरत महालेखाकार को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है।

अधिक जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करे-

श्रीमति मीना कुमारी मीणा, वरिष्ठ उप महालेखाकार- आरटीआई अधिनियम, *2005* के तहत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष सं. *0141-238237* (कार्यालय)

पी.बी. एक्स सं. *0141-2385430-439*

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-*11)* राजस्थान, जयपुर- आरटीआई अधिनियम *2005* के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

दूरभाष सं. *0141-2385399* (कार्यालय)

पी.बी. एक्स सं. *0141-2385431-439*